



## दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

### डिक्री

— — प्रतिवादीगण

दिनांक :- 18/02/2026

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल <sup>आर.ए.एस</sup> उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा सं. 916 की 1.265 हैक्., खसरा सं. 920 की 8.855 हैक्. कुल तादादी 10.120 हैक्. बारानी पु.आ. के 1/4 हिस्सा का वादी के नाम घोषित की जाती है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 18/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा पित्तल आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा